| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

*(पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.)*

राजस्व अपील संख्या 193/2022 जी.सी.एम.एस. नं. 2022/315

सोहनलाल

बनाम

श्रीमती सायरी के कायम मुकाम केली इत्यादि

उपस्थितः—

श्री करणसिंह, अधिवक्ता अपीलांट,

श्री श्रवणसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/4

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

## निर्णय

**दिनांक 17 अगस्त 2023**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2013 सायरी देवी बनाम कामिनी चौधरी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति देने बाबत पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अपीलांट द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्ष के अधिवक्ता गण की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

17.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन रास्ता अत्यधिक घुमावदार है। रेस्पोडेंट की भूमि आबादी से सटी हुई है, जिसके लिए अलग से रास्ते की आवश्यकता नहीं है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वह रेस्पोडेंट को रास्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा मौके पर उपलब्ध अन्य विकल्पों के बारे में विचार नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के रास्ता दिये जाने की प्रतिबद्धता में विश्वास जाहिर करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक की माता सायरी देवी(प्रार्थीनी) द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 74/3 में आवागमन हेतु आराजी खसरा नं. 73 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा ग्राम

17.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

जवासिया तहसील पीपाड़ शहर की खातेदार काश्तकार कामिनी चौधरी से रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता प्रदान कर प्रतिकर राशि तत्कालीन खातेदार कामिनी चौधरी को अदा किये जाने के आदेश दिये। विचारण न्यायालय की पत्रावली के पेज संख्या 72 के मुताबिक विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में पटवारी हल्का रिया द्वारा दो गवाह्न मुकेश चौधरी एवं तेजाराम की उपस्थिति में श्रीमती कामिनी चौधरी को चैक संख्या 144170 दिनांक 09.06.2015 के जरिये राशि 81200/– अदा किया जाना पाया जाता है। चैक की फोटोप्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के पेज संख्या 71 उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि खसरा नं. 73 के तत्कालीन खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त कर रास्ता दिया गया है। प्रतिकर राशि प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी खातेदार अथवा नवीन क्रेता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कानूनन सद्भाविक नहीं मानी जा सकती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा दिनांक 17.06.2022 की फोटो प्रति के मुताबिक अपीलांट द्वारा खसरा नं. 73 में से रास्ता निकलने के बाद शेष रही भूमि ही खरीद किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में रास्ते की भूमि पर अपीलांट के कोई अधिकार निहित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए में आदेश पारित किये जाने के सात साल बाद अपीलांट द्वारा खसरा नं. 73 की भूमि खरीद की गई है। ऐसी स्थिति में खसरा नं. 73/3 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के संबंध में अपीलांट के हित निहित नहीं होने से उसे हस्तगत मामले में हितबद्ध, प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना

17.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2013 सायरी देवी बनाम कामिनी चौधरी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

17.9.23

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर